SEMESTER - 2

CC- 9

Contemporary India

- Unit - IV - Gender and politics in Contemporary India

  PART- 1

Vetted by :

प्रो० (डॉ०) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 09835463960

Presented by:

शिप्रा नंदन

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 08604171178

nandan.shiprabhu@gmail.com

<u>समकालीन भारत में महिलाओं के लिए चलाए गए आंदोलन :</u>

स्वतंत्रता प्राप्त होते ही सबसे पहले संविधान निर्माण व इसे पुरे देश में लागू करने की प्रक्रियाआरंभ हुई। यह मुद्दा संविधान सभा में लगातार केंद्र बिंदु में बनी रही और अंततः २६ जनवरी १९५० को भारत के सभी नागरिकों के लिए 'संविधान' को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया,जिसके अंतर्गत जाति,वर्ग,धर्म,समुदाय और लिंगात्मक आधार पर समानता दी गई। संविधान निर्मात्री सभा में ही महिलाओं को विवाह,तलाक़,उत्तराधिकार व क्षेत्रों में अधिकार देने के लिए 'हिन्दू कोड बिल' की रूपरेखा तत्कालीन विधि मंत्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके सलाहकार बी एन राव द्वारा सभा में प्रस्तुत किया गया,जिसपर रूढ़िवादियों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। जिसके पश्चात् १९५५ में हिन्दू कोड बिल को ४ भागों में विभाजित करके निम्न कानून पारित किया गया -

१)हिन्दू विवाह अधिनियम ,१९५५

(Hindu Marriage Act ,1955)

२)हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ,१९५६

(Hindu Succession Act ,1956)

३)हिन्दू अल्पवयस्कता व संरक्षकता अधिनियम ,१९५६

(Hindu Minority and Guardianship Act ,1956)

४)हिन्दू दत्तक ग्रहण व रख -रखाव अधिनियम ,१९५६

(Hindu Adoption and Maintenance Act ,1956)

१) हिन्दू विवाह अधिनियम ,१९५५:

जब अंग्रेजों को लगा कि अब उन्हें हमेशा के लिया भारत से जाना होगा तब उन्होंने जाते जाते कुछ अच्छा करने कि सोची जिससे कि भारत कि जनता उन्हें उनके अच्छे कर्मो के लिए याद करे,और इसके लिए उन्होंने १९४१ में बी एन राव की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई जिसमे कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट देने को कह। राव ने १९४४ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कि जिसमे और संसोधन करने कि बात कही गई और उसके बाद फरवरी १९४७ में राव ने एक व्यापक रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी,क्योंकि १९४६ में संविधान सभा का गठन हो चूका था। संविधान सभा में अन्य मुद्दे तो चल ही रहे थे ,इसके साथ ही अल्पसंख्यकों व महिलाओं के सम्बन्ध में अंबेडकर ने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जब तक ये लोग सबके सामान नहीं होंगे तब तक इस देश कि उन्नति नहीं हो सकती और २५ नवम्बर को सभा में संविधान को प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस संविधान को बनने में जितनी भूमिका मेरी है उतनी ही राव की भी है,वर्ण हम ऐसा संविधान नहीं बना पाते। इसी समय हिन्दू कोड बिल को भी प्रस्तुत किया जाता है जिसपर सेलेक्ट कमिटी विचार कर ही रही थी,जिसके अध्यक्ष बी आर अंबेडकर थे। इस बिल में महिलाओं की समानता के अधिकार के लिए मुख्यतः निम्न बातें चिन्हित थीं :

*पहली बार महिला को तलाक़ की व्यवस्था

*एक पति \पत्नी विवाह की व्यवस्था

*संयुक्त परिवार में महिलाओं को हिस्सा देना

*उत्तराधिकार में /दत्तक के सम्बन्ध में महिलाओं का हक़ ,आदि।

जब यह सभा में विचार के लिए राखी गई तब सभा में इसका बहुत बड़ा विरोध शुरू हो गया और कई तरह की दलीले दी गई,जैसे कि-

१)चूकि परिवार में स्त्री -पुरुष कि जवाबदेही और दायित्व और भूमिका अलग-अलग है तो फिर सामान अधिकार का कोई औचित्य नहीं है।

२)हिन्दू समाज में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक है,अतः उनको संपत्ति में हिस्सा देने से उनकी छवि धूमिल होगी।

३)भौतिक सुविधाओं के आकर्षण से महिलाओं में चारित्रिक व नैतिक पतन होगा।

४)हिन्दू स्त्री की परवरिश ऐसी नहीं कि वे अपने भाई/पति कि संपत्ति का खुद इस्तेमाल करें।

५)जो महिलाएं आगे बढ़कर इस तरह कि मांग वे सभी भारतीय महिलाओं कि मांग हो ही नहीं सकती बल्कि ये सिर्फ पाश्चात्य शिक्षा

का असर है। इत्यादि।

इसके बाद अंबेडकर का विरोध उग्र रूप में शुरू हुआ। एक पति -पत्नी विवाह पर हिन्दू पुरुष शोर मचाते हुए कहने लगे कि हमे मुस्लिम पुरुषों कि तरह चार विवाह करने की आज़ादी होनी चाहिए और इसे हिन्दू पौराणिक ग्रंथो के माध्यम से सही साबित करने की कोशिश भी की। इसके अतिरिक्त धर्मसंघ और अखिल भारतीय के संस्थापक हरिहरानंद सरस्वती ऊर्फ करपात्री महाराज ने संसद के बाहर धरना -प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके अलावा संविधान सभा के भीतर श्यामा प्रसाद

मुखर्जी,पटेल,राजेंद्र प्रसाद,जे बी कृपलानी,पुरुषोत्तम दस टंडन आदि ने इस बिल का विरोध करना शुरू किया और बात इस्तीफे तक पहुंच गई। सबने एक स्वर में नेहरू और अंबेडकर का विरोध करते हुए कहा कि अभी चुनाव नहीं हुए है तो कोई पार्टी सीधे जनता द्वारा चुनकर नहीं आई है जो कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय को ले सके। इसके बाद नेहरू को न चाहते हुए भी झुकना पड़ा क्यूंकि नेहरू नव आजाद हुए देश को किसी और मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे और पहला लोक सभा चुनाव भी होने वाला था इसलिए नेहरू ने तत्काल के लिए हिन्दू कोड बिल के मामले को संसद में स्थगित कर दिया।

इसके बाद सितम्बर ,१९५० में अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि मई कानून मंत्री हूँ लेकिन मेरी राय नहीं चल रही है इसलिए मई अब इस पद पर नहीं रहना चाहूंगा और इसी घटना से क्षुब्ध होकर अंबेडकर ने हिन्दू धर्म त्यागकर बौद्ध धर्म अपना लिया। नेहरू ने चुनावी रैली में जोर शोर से कहा कि अगर मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो मैं प्रथमतया हिन्दू कोड बिल को कुछ सुधारों के साथ लागू करूँगा और इसी के साथ नेहरू प्रथम आम चुनाव जीतकर स्वतंत्र भरता के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करे हैं और सत्ता में वापसी के साथ ही हिन्दू कोड बिल को चार भागों में विभाजित करके लागू करते हुए इसे अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते है।

हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न था कि हिन्दू कौन हैं ?तो इसके आरंभिक ड्राफ्ट में लिखा गया था कि जो मुस्लिम ,ईसाई ,यहूदी ,पारसी नहीं होंगे वो हिन्दू कहलायेंगे। यह नकारात्मक इशारा कर रहा है जिसके बाद इसमें सुधर किया गया और कहा गया कि हिन्दू धर्म में सिख ,बौद्ध ,जैन ,लिंगायत ,शैव ,वीरशैव ,आर्य समाजी ,प्रार्थना समाजी ,ब्रह्मो समाजी हो वे सभी हिन्दू धरम में

आएंगे। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रो के जनजातियों को भी रखा गया और कुछ के बारे में कहा गया कि जब केंद्रीय सरकार शशिकीये राजपत्र के शासन अनुसार कानून बनेगा तब कार्य किया जायेग। इन सबके अल्वा कई अन्य प्रावधान इसमें जोड़े गए परन्तु प्रमुख रूप से विवाह।,तलाक़ समबन्धी बातों पे रूढ़िवादी मान्यतावों पर रोक लगाते हुए महिलाओं को भी पुरुषो के बराबर अधिकार दिए गए। पहले हिन्दू समाज में प्राचीन स्मृतियों के आधार पर पुरुषों को बहुविवाह कि स्वतंत्रता थी। इसके समबनध में हिन्दू विवाह अधिनियम में एक विवाह का नियम लागू किया और द्विविवाह और बहुविवाह कि अवैध ठहराते हुए आई पी सी की धारा ४९४ के तहत दंड का प्रावधान रखा गया।

इस अधिनियम के अनुभाग १७ में पुरुष अगर विवाहित है और यदि वह अपनी पहली पत्नी से छुपाकर दूसरी शादी कर लेता है तो वैसी स्थिति में प्राप्त सबूतों के तहत १० साल की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में सपिण्ड विवाह के सम्बन्ध भी कानून बनाया गया है। हमारा प्राचीन ग्रन्थ मनुस्मृति कहता है कि विवाह में सपिण्ड विवाह न हो इसके लिए सात पीढ़ियों को देखना चाहिए। इसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि पिता कि ओर से ५ पीढ़ी उप्पर कि ओर और माता कि ओर से ३ पीढ़ी उप्पर की ओर छोड़कर विवाह किया जा सकता है। विवाह की विधि के बारे में कहा गया की अपनी अपनी मान्यत्ताओँ के हिसाब से विवाह किया जा सकता है। वंही इसके अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया गया कि जो अग्नि के सामने सात फेरे लेके शादी करते है उनके लिए सातवे फेरे के बाद ही शादी वैध मणि जाएगी। इस अधिनियम में तलाक़ के सम्बन्ध में स्पष्ट किया

गया कि पति -पत्नी स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ तलाक़ ले सकते हैं तथा महिलाओं को निम्न आधार पर छूट दी गई है -

-७ साल से पति कि कोई सुचना न हो।

-पति सन्यासी बन गया हो।

-पति व्यभिचारी,चरित्रहीन,पागल हो।

-पति असाध्य रोग से पीड़ित हो ,आदि।

इसका एक और महत्वपूर्ण अधिनियम विवाह कि आयु को लेकर था। पहले इस सम्बन्ध में शारदा अधिनियम का पालन किया जाता था जिसमे विवाह के लिए ladke कि आयु 18 साल ओर लड़की कि आयु १४ साल निर्धारित किया गया था परन्तु हिन्दू विवाह के अंतर्गत इसे बढाकर १५ साल कर दिया गया आगे इस पर जब नारीवादियों ने आंदोलन किया तब १९७८ के संसोधन में लड़के के विवाह कि आयु २१ और लड़की कि १८ वर्ष की गई जो की वर्त्तमान में भी लागू है और इसपर नारीवादियों का कहना है कि यह २१ साल होना चाहिए क्युकी २१ साल तक लड़की का शारीरिक और मानसिक विकास ाची तरह हो जाता है और उनकी शिक्षा भी लगभग पूरी हो गई होती है इसलिए इसमें संसद को सुधार की जरुरत है जिसपर अभी कोई नियम नहीं बना है।

सहमति की आयु जो की १८६० में आई पी सी में १० वर्ष निर्धारित की गई थी उसे १९४० में १६ वर्ष किया गया और २०१३ से पहले तक यह १६ वर्ष ही निर्धारित था। इसप्रकार के कुछ प्रावधान हिन्दू

विवाह अधिनियम में महिलाओं के अधिकारों के रक्षा के लिए बनाये गए। आगे चलकर इसमें काफी विवाद होने लगे। हिन्दू संगठनो ने एक सामान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया और एक विवाह के खिलाफ हिन्दू पुरुष मुखर होने लगे और कानूनी रुकावट होने पर वो छुपकर दूसरा विवाह करने लगे जिसके खिलाफ साक्ष्य जुटाना एक टेढ़ी खीर जैसी हो गई। अब चूकि यह कानून हिन्दू धर्म पर लागू होता था वैसी स्थिति में हिन्दू पुरुष पहले विवाह के बाद धर्म बदलकर दूसरा विवाह करने लगे जिसके कारन पहली पत्नी के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पा रही थी। ऐसे कई मामले आये और इनमे एक मामला बहुत प्रसिद्द हुआ :१९९५ का सरला मुद्गल का केस। जिसके सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आगरा कोई विवाहित व्यक्ति पहली पत्नी से बिना तलाक़ लिए धर्म बदलकर दूसरी शादी करता है तो वो अपराधी मन जायगा और उसपर आई पी सी की धारा ४९४ के तहत कार्यवाही की जाएगी और वह दूसरा विवाह भी अमान्य मन जायेगा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह एकसमान नागरिक संहिता के लिए जल्दी कार्य करे वर्ण इस तरह के केसेस आते रहेंगे। इसके अलावा १९७८ में बाल विवाह में संसोधन करते हुए लड़कियों कि आयु बढ़ाकर १८ वर्ष कर दी गई और सहमति कि आयु भी अभी कुछ साल पहले ही १८ वर्ष कि गई है। वर्त्तमान में लड़कियों विवाह कि आयु २१ वर्ष करने के लिए निर्मला सीतारमण ने बजट के अंतर्गत स्पेशल टास्क फाॅर्स का गठन किया है और ६ माह के अंदर इसपर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

बहरहाल, हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ में कुछ कमियों के बावजूद यह कहा जा सकता है कि यह महिलाओं को अधिकार देने में काफी सहायक रहा है। इसके कारन हिन्दू महिलाओं

को उनके जीवन,शादी ,तलाक़ व अन्य तरह के अधिकारों को न केवल कानूनी तरीके से दिया है साथ ही उसके सुरक्षा का उपाय भी किया गया है और साथ ही समयानुकूल इसमें सुधार और संसोधन का भी स्वागत किया गया है।